

(60)

राजस्थान सरकार  
सांख्यिकी विभाग  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:—एफ 5(64)/सीईओ/सम/डीईएस/2019/पार्ट-11/ 834 दिनांक 22/7/2019

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।  
गृह मंत्रालय  
भारत सरकार।


विषय:— भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 पूर्व परीक्षण (प्री-टेस्ट) अधिसूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक 9/07/2019 — CD (Cen) दिनांक 2 जुलाई, 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, की संलग्न अधिसूचना का. आ. 2221(अ) दिनांक 25 जून, 2019 को राज्य की गजट अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2019 को सर्वसाधारण की सूचना के लिए पुनः प्रसारित कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार


भवदीय


  
(डॉ. ओ.मि. प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)।
8. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक :- 1.1102/1/2019 —Census/193 दिनांक 18.04.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जनगणना-2021 पूर्व परीक्षण (प्री-टेस्ट) अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवावें।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
संयुक्त निदेशक (समन्वय)

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आषाढ 26 बुधवार शाके 1941-जुलाई 17, 2019 <i>Asadha 26, Wednesday, Saka 1941-July 17, 2019</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 15, 2019

संख्या प. 5(2) सीओआई/सम/डीईएस-भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, की संलग्न अधिसूचना का. आ. 2221(अ) दिनांक 28जून, 2019 को राज्य सरकार एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रसारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. ओम प्रकाश बैरवा,

संयुक्त शासन सचिव।

गृह मंत्रालय

(महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत)

अधिसूचना

नई दिल्ली, जून 25, 2019

का.आ. 2221(अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना, 2021 के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिये उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 12 अगस्त, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्व परीक्षण संचालित किया जायेगा।

[फा.सं. 9/7/2019-सीडी(सीइएन)]

विवेक जोशी, महारजिस्ट्रार और

जनगणना आयुक्त।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)**  
**NOTIFICATION**

**New Delhi, the 25 June, 2019**

**S.O. 2221(E).**- In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India, 2021. The pre-test shall be conducted from 12<sup>th</sup> August, 2019 to 30<sup>th</sup> September, 2019 in all the States and Union Territories.

[F.No. 9/7/2019- CD (Cen)]

**VIVEK JOSHI, Registrar General and**  
**Census Commissioner**